

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पार्लनापत्र

क्र. न - 38/2017

30-3-22

पलावली आज पैश डई। वकील प्राणी व पक्षाकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील प्राणी ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2002 से दिये गये 85 अवश्यों के बावजूद भी अप्राणी की तलबी हेतु नोटीस सलबाना आज दिनांक तक भी पैश नहीं किया गया है। अतः वकील प्राणी द्वारा प्रस्तुत वाद पदा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत श्वासीन की जाती है। पलावली कैमल भुमार होकर बाद सफमील दारिबल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (कार्ट) श्रीमाधोपुर

